न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 144/2018

सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

—:: बनाम ::—

नानूराम पुत्र दौलतराम जाति अग्रवाल साकिन चक 13 एफ बडा तह0 व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 09 सितम्बर, 2019

– :: निर्णय ::–

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत अप्राथी के नाम चक 13 एफ बडा के खाता संख्या 28 के मु.नं. 29 के किला 9/2 मे 0. 177, 11/0.253, 12/1 मे 0.076, 19/1 मे 0.127, 20/0.151, 21/2 मे 0.025 कुल 0.809 हैक्0 नहरी रकबा अप्राथी के नाम कृषि भूमि एकल खाता खातेदार दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार है (जमाबन्दी की प्रति संलग्न है)। उक्त खातेदारी भूमि चक 13 एफ बडा के खाता सख्या 28 के मु.नं. 29 के किला 9/2मे0.177,11/0.253 12/1मे 0.076, 19/1 मे 0.127, 20/0.151, 21/2 मे 0.025 कुल 0.809 हैक. नहरी रकबा का उपयोग कृषिकार्य में न होकर मौके पर प्लाट काटकर / मकान बनाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है । उक्त अराजी काबिले-काश्त है केवल मात्र कृषि कार्य के लिए दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से संपरिर्वन कराये / स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग की जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि कार्य में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपयोग लेना गैर कानूनी है । चक 13 एफ बडा के खाता सख्या 28 के मु.नं. 29 के किला 9/2 मे 0.177, 11 मे 0.253, 12/1 मे 0.076, 19/1 मे 0.127, 20/0.151, 21/2मे 0.025 कुल 0.809 हैक्0 नहरी मुताबिकँ रिपोर्ट पटवारी हल्का मटीली राठान के अनुसार बिना स्वीकृति/संपरिर्वतन कराये अकृषि उपयोग मे किया जा रहा है रिपोर्ट प्रार्थी संलग्न है । दावा राज हित मे है इसलिए कोर्टफीस देय नही है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी को विधिवत तामिल होनें के पश्चात प्रतिवादी स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि भूमि का मौके पर अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। इस भूमि को रकबा राज किया जाता है, मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किये जानें के कारण प्रकरण में पैरोकार राज की बहस को सुना गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली पत्रावली अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 13 एफ बडा के खाता सख्या 28 के मु.नं. 29 के किला 9/2 मे 0.177,11 मे 0.253 12/1 मे 0.076, 19/1 मे 0.127, 20 मे 0.151, 21/2 मे 0.025 कुल 0.809 हैक. नहरी भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(राजस्व वाद संख्या :- 144/2018 अनवान सरकार बनाम नानूराम)

आदेश आज दिंनाक 09 सितम्बर, 2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)